

प्रकार

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

ओ डी रेन्स राव डिसान

2. वर्तमान धारित पद

उप निदेशक

3. वर्तमान वेतन

87800+DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1.7.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अवधारित
	(1)	(2)						

जिला - भीपाल राहौल डरर (M.S. 2)	शाहसीय शहर (M.S. 6) राहौली	-	शाहसीय शहर	राहौली शहर	उसके प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अवधारित

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया गया मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के भरना वह योग्यता-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुधो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पद  
 विभाग

ओ डी रेन्स राव डिसान  
 उपा निदेशक  
 शाहसीय प्रशासनिक सेवा (M.S. 2)  
 राहौली

पंजीर्ण

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो इटीआर डी मोरदा 2. वर्तमान धारित पर इंजिनियर (विद्युत)

3. वर्तमान वेतन ₹ 254000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो.	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि मूल्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अध्यापकता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला- मीरजापूर राखीम डेअर द्विआग सकल (द्विआग-मस) मीरजापूर	आवासीय घर	खरीद	(1000000) ₹ 22.00 लाख	बैंक से ₹ 10 लाख	धरतल पर 1996	₹ 3	

जहाँ लागू न हो कार दीजिए।

\*\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम इटीआर डी मोरदा  
 पद इंजिनियर (विद्युत)  
 विभाग इंजिनियरिंग विभाग, मीरजापूर

फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (1-1-2018 से 31-12-2018)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **वर्धमान धारित पद**

2. वर्तमान धारित पद

**इंजीनियर**

3. वर्तमान वेतन **57,950/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **अलाई, 2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधानित	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हत्नाई रोड, आनन्द-102 कोषाल	नगर 30X50फुट	-	30लाख लगभग	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	रूपरे एक लाख से अधिक की आय है	निरंक	कम की आंशिक
नयापुरा कोलार रोड, कोषाल	अपना 19X40 फुट	-	30लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	क. 925,000/- से उच्चतरा है एडवोकेट एवं फार्मेशन आ. सि. - निरंक - से 11/11/2007 से क. फार्मेशन बैंक लोन, सीपीएड मिलनी सुद्ध एवं कर्ज की अर्जत से कर कम	Pharmawan	

• जहां लागू न हो कार दर्जिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय संवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकं.मु.भां-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम **वर्धमान धारित**  
 पद **इंजीनियर**  
 विभाग **शासकीय इंजीनियरिंग, लखन (हार्ड)**  
**सुद्ध और सुद्ध**

— 10 —

पत्राभेद  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय आबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अरवि शिन्धवार**  
 2. वर्तमान धारित पद **बुखार गार्ड**  
 3. वर्तमान वेतन **49500/-** आबली वेतनवृद्धि की तारीख **11/12/19**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	अदि स्वयं के नाम पर ला हो तो बदलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, किरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्याजित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>निवेदक</b>						

जहाँ लागू न हो कार दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में व्यापार मंडल बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा को प्रत्येक सरकारी से यह अंगीकृत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसका बाद प्रत्येक वर्ष प्रायः एक पाँच करोड़ प्रयुक्त कर और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसाधिकारित हो गयी है। उसका अर्जन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्वय सम्पत्ति को दर्शाए।  
 शान्तिमुभी-926—अससाप्रवि-22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर **Sharma**  
 नाम **अरवि शिन्धवार**  
 पद **बुखार गार्ड**  
 विभाग **शान्तिमुभी गृह नगर विकास समिति**  
**कम 50 महेन्द्र**

पंजीम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवकाश सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आर. ए. एस. सिंगरिया** 2. वर्तमान धारित पद **हाईमड प्रो-1**

3. वर्तमान वेतन **44800/-** आर. ए. एस. वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, भेट, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आवधिक
	गृह तथा अन्य भवन	अन्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. V-9, अमरदरिणी निलय विरह मजरा, मोधाल	इस्तेमाल	-	500000	खेती खं पति के नाम	खेती खं पति अर्जित कर 2003 के तारीख। अमरदरिणी कर्मचारी मोधाल	NIL		
2. हाऊस 206	इस्तेमाल	-	38 लाख	पति	खेती खं पति के नाम के लिए अर्जित कर 2019 मोधाल			

\* जहाँ लागू न हो कार्ट दी जाए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगातार बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अत्यन्तहीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी जिला क्षेत्र तथा वृत्तीय श्रेणी सेना के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसकी बाद प्रत्येक बार नया नया कर कर प्रकृत करने और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी विरासत में मिली या उसके अन्तर्गत नाम पर या उसमें परिवार के किसी पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति आदि का विवरण दे।

हस्ताक्षर **Singarya**  
 नाम **आर. ए. एस. सिंगरिया**  
 पद **हाईमड प्रो-1**  
 विभाग **हाईमड प्रो-1 तथा विरह मजरा मोधाल**  
 आशु मोधाल

पुनर्भ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अध्यापक सुनील कुमार राव

3. वर्तमान वेतन 44,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)					

1235

हस्ताक्षर Sunil Kumar  
 नाम सुनील कुमार राव  
 पद अध्यापक  
 विभाग विभागाध्यक्ष आर-काय सुडोल  
तथा अरुण रावराज गावा

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के साक्ष्य में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यांगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) विधायक, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उससे बाद मूल्य के लिए महीने की अवधि में प्रमाणित यह प्रमाणित करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उससे प्राप्त की गई सम्पत्ति का नाम और उससे परिचय के विवरण प्रस्तुत करें।  
 पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्ति के ब्योरे दें।

शािकेसूची-926-असस/प्रति-22-10-09-15,000

पुर्कार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18 (डिवाक 1-1-2018 से 31-12-18 तक)

08/11/2018 को  
सिंहारक डेस्क

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राधा शीख वर्मा

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन राशि 17600 ... आरती वेतनवृद्धि को वारीय 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो

सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे

भूमि

\*\*वर्तमान मूल्य

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बदलाइय कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है

उसे किस प्रकार अधिगत किया गया  
\*\*\*खरीद, पट्टा, बंधक, निरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा

सम्पत्ति से वार्षिक आय

अभिवृत्ति

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

जिखा शीखारु

राह शीख डुकर

शीखार नगर

राज्य शीखार नगर

शीखार

आवा कवाचा

20X30

1600 कवाचि

आवाका

15000 कवाच

नवी डेपर

श्रीवती जानी

वामा

(प्रादि)

रविसिख जाग वरि

1995

श्री रघुवीर सिंह

श्री उजियार सिंह

श्री शीखार सिंह

श्री राहल

कुआवण सिद्ध

पुष स्वयं की

अवत सिद्ध

वकाज वनाका

राय

हस्ताक्षर

राधा शीख वर्मा

नाम

पद

विभाग

सहायक डेस्क

श्रीवती शीख

राधा शीख

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या भी करवाया जाय

\*\*\* इससे अन्यकालीन पट्टे भी सम्पत्तिगत हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदों के सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति कि समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष का पत्र भेजकर प्रस्तावित करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत तथा अधिगत के विवरणों में प्रस्तावित सम्पत्ति का नाम और या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का ब्योरा दें।

शा.के.मु.धो-926-असस/प्रावि-22-10-09-15,000.

फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

दिनांक 20/07/2019

सहायक जी.डी.ओ.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्राय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शारदा, कोल्हार	घाट	-	39000/00/-	मरिज एवं स्वयं के नाम पर (संयुक्त)	मरिज एवं स्वयं के जी.डी.ओ. से भेंट एवं अर्जित पर	-	-	

जहां लगा न हो कार दर्शाए।  
 \* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आयुक्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शान्कम्पू—926—अससप्रावि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर... दिनांक  
 नाम दिनांक राजाजी  
 पद सहायक जी.डी.ओ.  
 विभाग विभागाध्यक्ष शा. कुशीनवा  
 कोल्हार, शा. कोल्हार श. कुशीनवा





पत्रांक

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति इशारा इस्कवाल 2. वर्तमान धारित पद सहायक टी.टी.डी

3. वर्तमान वेतन ₹ 44,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.1.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निराक</u>							

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\* इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- \*\* टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुणो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम श्रीमती इशारा इस्कवाल

पद सहायक टी.टी.डी

विभाग किंगडॉक आनकीम इन्डो तथा  
लेबर एम.डी. के. प्र. कोम्पाउंड

प्रार्थना

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (दि० 1-1-2018 से 31-12-2018 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शैलेन्द्र सिंह बिसोदिया** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक जेड-2**

3. वर्तमान वेतन **4,6,700 + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकत्व कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, भूदंड, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अपेक्षित
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ओपारल बिल्डा गणतंत्राध्यक्ष अभिलेख नगर ओपारल	गडद 25'x40' एलाट पर निर्मित	-	25 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की कन्या, जी.पी.एच. पर्यवेक्षण एवं विनायक से प्राप्त राशि से	-	-

\* जहां लागू न हो कर दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार के लागू हुए वर्तमान नाम  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदों का स्वरूप से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद मूल्य का निर्धारण यह भावना से ही करना चाहिए और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उस विरासत में मिली या उसके अंतर्गत नाम पर की उससे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा अधिगत अथवा अधिगत सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

नाम **शैलेन्द्र सिंह बिसोदिया**  
 पद **सहायक जेड-2**  
 विभाग **आंगुमुड्डा तथा धरण समकषी**  
**गहमपुरेश ओपारल**



प्राथमिक विद्युत्तिका के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 दि. 1-1-18 से 31-12-18 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती सुश्रुत वर्मा**  
 2. वर्तमान धारित पद **असिस्टेंट क्लर्क**  
 3. वर्तमान वेतन **₹ 42,400/-**  
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
क. नं. 1309/1310 जाली नं. 3 बार्डिंग बोर्डा चाणपुर तह. व. जिला-अबलखुर	अपना	-	लगभग 58 लाख	पारि श्रंग श्रंग 08 लाख 75	खरीद - श्रीमती सुश्रुत वर्मा गदकीला से 5.8.1 ई. ई. एल श्रंग 08 लाख पारि श्रंग वर्मा	जिला	-	

\* जहाँ जगह न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परीक्षा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **K. Babbar**  
 नाम **श्रीमती सुश्रुत वर्मा**  
 पद **असिस्टेंट क्लर्क**  
 विभाग **शा. प्र. तथा ल. शा. नं. 5. अणुस**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीराम शिखर**

3. वर्तमान वेतन **१११८००५.०४** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१/७/२०१९**

2. वर्तमान धारित पर **२४०४७५२-२**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभयार्जन
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	शहदना जिला शहदना	गांव गुवाडीया	-	₹ 7,00,000	एवम्ही नाम	किरीट	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अलपकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकंमू०-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **श्रीराम शिखर**  
 नाम **श्रीराम शिखर**  
 पद **सहायक जी०३-२**  
 विभाग **शुभारंभ प्रस्ताव निदेश विभाग**  
**५००० मन्थान**

प्रारम्भ  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **जार्ज एम.बी.**  
 2. वर्तमान धारित पद **सहायक जे.आर.**  
 3. वर्तमान वेतन **43,500/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	रजपत्ति से वर्धिक आगम	अभिधात्रिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल डूंगर ओकिर डूरा	प्लॉट	भूमि	18 लाख	बिना एवं पत्नी के नाम	किरदार से क्रेड किया कई ब्या भूखण्ड एवं सामान्य अकिपर निधि से आभा शक्ति हैं।	—	—

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलगकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष योषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभा-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **जार्ज एम.बी.**  
 नाम **जार्ज एम.बी.**  
 पद **सहायक जे.आर.**  
 विभाग **शा.सु.नया.निधन (आ.डी.ओ.एल)**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आता भारत, स्टेट बैंक - बी० 2. वर्तमान धारित पद स्टेट बैंक - बी०

3. वर्तमान वेतन ₹ 2,200/- ... आता वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019 ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आग	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	जेडर जॉबर्ट आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश आंध्र	किंग्स	जलाशय श्रमक	स्वयं तथा पति के नाम से खरीद	अर्जित किया गया है C-141 जेडर जॉबर्ट	किंग्स	स्वयं का प्रथम आवक नं. 16 अथवा सि-किंग्स अथवा बैंक ऑफ इंडिया से 2010 के 9 अथवा 10

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकंमुभा—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर Beda  
 नाम श्री. भारत  
 पद स्टेट बैंक - बी०  
 विभाग आ. नं. 61 अथवा 62  
आंध्रप्रदेश

कार्य

\*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

सुधीर शर्मा के वर्तमान धारित पद अथवा पद की संख्या

वर्तमान वेतन. 13500/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख. 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विशासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	शेष-मूल्य
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अधुना	अमानदा 269 शासकीय विद्यालय फ़्लोर-3 आशुगुणविक्रम एन-डुर्गा जिला अधुना		2600000/- रुपयों		रक्षा 25-07-18 श्री. ए. ए. ए. ए. ए. अमानदा एवं अधुना अधुना जिला	जिला	अधुना की ग्राउंड

- \* जहां लागू न हो कार दर्शाए।
- \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

दिपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रत्येक वर्ष चोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शा.कं.मु.भो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000. दिनांक 22-2-19

हस्ताक्षर  
सुधीर शर्मा  
पद  
अधुना की संख्या III  
विभाग  
अधुना जिला

प्रमाण

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रहा है (किसी प्रकार के पद पर) 2. वर्तमान धारित पद का नाम

3. वर्तमान वेतन का वर्गीकरण का नाम और वेतनवृद्धि की तारीख का वर्गीकरण का नाम

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिात किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिात की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिात
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

01/01/2001-2001  
 4000000 म 2011  
 09-8 692201819  
 2011/11/11

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

R-152  
 2994  
 - 0000000  
 6000 के लिये  
 2011/11/11 के  
 अधिात 3000000  
 15 अक्टू 2011  
 100000

जहाँ लागू न हो कार दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के मूल्य में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलखकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वेषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदाधिकारियों से यह अधिात है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसकी बाद प्रत्येक बढाव के पश्चात् वह मालिकाना पद पर नभू पाएगा और अंत में पहली श्रेणी से अधिक वेतन प्राप्त करने के लिये वह उसकी सेवा के दिनांक से पहली या उसकी अन्तिम वेतन प्राप्त करने के दिनांक से अधिक वेतन प्राप्त करने के लिये पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बंधक है।  
 शाकेपुत्रो-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम अधिात  
 पद अधिात  
 दिनांक अधिात

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (दिनांक 1-1-2018 से 31-12-2018 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री अशोक चौधरी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ड्रिड-III

3. वर्तमान वेतन ₹ 39,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधानित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>निर्देश</u>			

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
दियुक्ति : मध्यप्रदेश शासकीय सेंवक (आवृण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शान्कमुष्ण-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर श्री अशोक चौधरी  
नाम श्री अशोक चौधरी  
पद सहायक ड्रिड-III  
विभाग शां.सु.त. तथा लेखन शाखा,  
गोण्ड, गोण्डा

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय आचलन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती शंभुया पवार 2. वर्तमान धारित पद सहायक टीड-3

3. वर्तमान वेतन ₹ 37800/- आचलन वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि मूल्य के नाम पर ना हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, भेट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अर्थात्
	(1)	(2)					
श्रीमती विकास शर्मा द्वारा स्वीम एमर्सीटी चण्डा- 1 सेक्टर औ धारा पीपल्स पंचायत हजारा नं. 4 नरसिंह हुस्वर जिला, अंचल	शुगरबंद	—	14,40,000.00	इसके दो भाग हैं। 30-3-2016 को अन्न विभाग द्वारा बर्तमान की धारण एवं एका कमिशन से अर्जित किया गया है।	—	NIL	धारा 17 में उल्लेख किया गया है।

\* जहां लागू न हो काट दी जाए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में क्या मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अप्रत्याशित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
\*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी दिव्य श्रेणी तथा पूर्ण श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवृत्ति की श्रेणी में प्रवृत्ति पर निर्धारित न हो और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी प्रकार से अर्जित की गई हो।  
पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्ति के ब्यौरे को।

हस्ताक्षर श्री  
नाम शंभुया पवार  
पद सहायक टीड-3  
विभाग अचारा नियमक हुस्वर तथा चण्डा  
शाम्भुजी, नं. का औपल

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **अशोक जी शर्मा**, वर्तमान धारित पर **अशोक अड-III**

3. वर्तमान वेतन **3,8,600/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभारित
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		लॉट 200x50 = 1100 वर्ग फुट		₹18000	2-वर्ग	कंपनी - शेल्डन सी.एल.डी (3/2012)	-	-
		लॉट 25x50 = 1250 वर्ग फुट		₹12000	जी.पी. अर्जित	कंपनी - शेल्डन सी.एल.डी, अशोक (2013)	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 \*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली पहली को अर्धक के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **Sharma**  
 नाम **अशोक जी शर्मा**  
 पद **अशोक अड-III**  
 विभाग **अतिरिक्त प्रशासक अशोक अशोक**

प्रार्थना

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

सहायक वरिष्ठ अधिकारी

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 37495- (नीट) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

2. वर्तमान धारित पद

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधातित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
श्रीपुत्र	अकाल	-	34 लाख 500 हजार	-	दरमं वही अचल आर्षि के अर्द्ध लकर एवं लकर से जोर्न लकर कम किराया टाया	-		

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवैशित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

शाकेमुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
नाम: दीपक कुमार शर्मा  
पद: सहायक वरिष्ठ अधिकारी  
विभाग: श्री. सु. उ. उ. उ. विभाग (आचारण)  
स-5, अम्बाला

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो महेश चान. वाकरकर लिपिक का (P2) वर्तमान धारित पद सहायक जे. 3

3. वर्तमान वेतन RS. 46,100/- plus Allowance आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधारित
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<u>श्रीपाल</u>	<u>श्री.ने. I-08</u> <u>वर्धमान शील</u> <u>पार्क कालोनी</u> <u>श्रीपार.</u>		<u>RS. 6,75,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक लोन द्वारा</u>	<u>NIL</u>	

हस्ताक्षर Rishabh

नाम चंद्रकान्त वाकरकर  
पद सहायक जे. 3  
विभाग श्रीपाल तथा नेशनल सामग्री  
श्रीपाल

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अपरकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आयुक्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पर्याप्त-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शिकेसूची-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.



फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय आवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविशंकर कुमार, वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 34100/- 20 अगली वर्तवृत्तिकी तारीख 7/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापार		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिात किया गया **छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिात की गई हो उसका नाम तथा व्यापार	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिसूचना
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	शुकर	-	25,00,000	धरम	पूरा धारित	-	-

*(Handwritten signature)*

जहां लागू न हो काट दीजिए।

- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति को संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- \*\*\*\* न्यग्रदेश शासकीय बैंक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष मूल्य का निर्धारण करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिात अथवा उसी निशुद्धता में मिली जा सकती है। अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के बंधक को

शान्क मुभा-926-अससप्रति-22-10-09-15,000.

नाम रविशंकर कुमार  
 पद अधीक्षक  
 विभाग आयुक्त कार्यालय

**प्राप्त**  
**\*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019\***  
**विनीद डटवार**  
**सुबार्ड 2019**  
**सहायक अंड-नीज**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विनीद डटवार**
2. वर्तमान धारित पद **सुबार्ड 2019**
3. वर्तमान वेतन **31200**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख **सुबार्ड 2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	रामर्पित से वार्षिक आय	अभिधातित	
	(1)	(2)						(3)
					<b>शून्य</b>			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिमन्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अबत सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपुर्ण-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **विनीद डटवार**  
 नाम **विनीद डटवार**  
 पद **सहायक अंड-नीज**  
 विभाग **शासकीय मुक्ता दवा भंडारण**  
**राजगढ़ी, एन.ए. अंधावा.**

प्रारम्भ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (18/18 से 31-12-18)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्याम शंकर विहारी** 2. वर्तमान धारित पद **एसएसडी**

3. वर्तमान वेतन **34100+10A** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **अप्रैल 2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया <b>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा</b>	राजपति से वार्षिक आय	आयशुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निशंक			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 'महीने की अवधि के परभाव' यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपुंभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर   
नाम **श्याम शंकर विहारी**  
पद **एसएसडी**  
दिनांक **27/07/2018**

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018-19**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *असिस्टेंट सिटिंग पब्लिक (हस्तप्रयोगी लिपिक)* वर्तमान धारित पर *स्टायक जेड-सीन*  
 3. वर्तमान वेतन *29,500/-* आली वेतनवृद्धि की तारीख *01. जुलाई 2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शाम-भांयडा कान्ठ पटवर्दी एका नम्बर-16 राजान्प विहीसण मण्डल 02 विवास बरुड कनरा नरसोण इन्डर जिले-ओपान्त	—	भूमि बतारा कमान्ड 209/2/11/15 210 का अंतर भावा क्षेत्रफल 1900 वर्गफिट ग्रुनरुड कमान्ड 95-96	346,000/-	इपुं 5 गाव	इपुं की बचत से उप- भोसापडी क्षेत्र नम्बर 10 वं जानसी एवं सुकरान्प 58 की बरुड से अर्जन नारीस 23-03-15 श्री अमर चक्रवर्तु पंथी पुनः-58 पुरुषोत्तम पंथी आणु वधान् निवासी मकान नम्बर-1193 नवजीवन जालीनी एडोला- मोडर ओपान्त (श.क.)	जिरां जिरां		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक नतीजे की अवधि के परबारे यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथ्य उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 हस्ताक्षर *[Signature]*  
 नाम *असिस्टेंट सिटिंग पब्लिक*  
 पर *असिस्टेंट सिटिंग पब्लिक*  
 विभाग *निर्वाहक, 11/सहायक सुपर नंबर मेडरन-  
नामवर्दी, मंड. 5, ओपान्त*

पं. नं.

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवकाश सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सिद्धि चरिया

2. वर्तमान धारित पद

सहायक प्रिंटर

3. वर्तमान वेतन

211700/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

11/12/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियंता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलफ़ाबेटिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बढाई मढ़ीने की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्यदा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इसकाक्षर  
 नाम निवासी  
 पद सहायक प्रिंटर  
 विभाग सहायक प्रिंटर का विभाग  
 आर. आर. मण्डल

पत्राभेद : 01/01/18 से 31/12/18  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अवलंबित सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 01/01/18 से 31/12/18  
 अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशा जो नरसिंहकर निरपेक्षकारी वर्तमान धारित पर सहायक डेप्युटी (सीनर)  
 1. वर्तमान वेतन 244,24,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जोशी डॉक्टर आकाशिय परिवार बर्डई भोपाव	फ्लैट		12,00,000/-	NIL	शोभाब विष्णय प्राधिकरण से 30 वर्ष के पट्टे पर 21.6.	NIL		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवलंबित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

नाम आशा जो नरसिंहकर  
 पद सहायक डेप्युटी (सीनर)  
 विभाग शासकीय कुश्ना तथा लेखन सामग्री भोपाव

पंजीयन

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शशि कान्ना

2. वर्तमान धारित पद

सहायक प्रिन्टिंग

3. वर्तमान वेतन

28500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

11/7/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो

(1)	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए, कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया <b>**खरीद, पट्टा, बंधक, किरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा</b>	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अध्याजित

1. निवेदन

हस्ताक्षर

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में व्यापक मूल्य बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवर्धन की अवधि के प्रवर्धन यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुष्णो-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

नाम शशि कान्ना  
 पद सहायक प्रिन्टिंग - अका  
 विभाग श्री. प्रि. प्रि. ऑफ़ अससाप्रति

1-1-18 से 31-12-2018

प्रार्थन  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18-  
 \*वर्तमान धारित भूद  
 \*वर्तमान धारित भूद  
 \*वर्तमान धारित भूद

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित भूद  
 3. वर्तमान वेतन  
 32,100/-  
 आर्जी वेतनवृद्धि की तारीख  
 1/1/2015

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला-अजमेर भरतपुर (234 कोठी)	रवाड़ा अजमेर		1450000/- 1400000/-	स्वयं एवं अर्जित भूदा, लालकरी	2013 कर्जा की अर्द्ध शालीन भूदा अर्जित SBI बैंक से	निल		
भरतपुर (234 कोठी)	अजमेर 280 कोठी		1400000/-	स्वयं		निल		

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय संवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकमुखा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पद  
 विभाग

फार्म

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अद्यतन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018**

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा कालावधि जिसमें वह हो बीपक कुमार रायकवार (2) वर्तमान धारित पर अद्यतक वेड-3 (3) वर्तमान वेतन 24700..... (4) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01-07-2019.

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थिति स्थित हो	स्थिति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, बरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, अंश या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	स्थिति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गाह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
1.ग्राम सेवानिया ऑकरा भोपाल	-	फ्लट	500000/-	स्वयं	माता जी द्वारा एवं स्वयं की बचत से क्रय किया	कुछ नही	
2.ग्राम सेवानिया ऑकरा भोपाल	-	फ्लट	250000/-	स्वयं		कुछ नही	

जहाँ लागू न हो काट कीजिए

- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण कलना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाय
- इसमें अत्युक्तनीत पट्टे भी सम्मिलित है

डकनाक्षर

नाम :- बीपक कुमार रायकवार  
पद :- सहायक वेड-3  
विभाग :- शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार भोपाल

उसके द्वारा धारित सम्पत्त अद्यतन सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

**पत्रार्थ**  
**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18\***

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **निकेश शर्मा**  
 2. वर्तमान धारित पद **सहायक**  
 3. वर्तमान वेतन **29,400/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **11.7.2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागूया मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी :** मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पूरावात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकं.मु.भा.—926—असस.प्रा.वि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर **Nikesh Sharma**  
 नाम **निकेश शर्मा**  
 पद **सहायक**  
 विभाग **शासकीय सेवक नियंत्रण विभाग**  
**सं. 80 - बी.पट्टा**

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश्वर शर्मा 2. वर्तमान धारित पद अहालक ओड-3

3. वर्तमान वेतन 17,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियोगित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेंपुर्ण-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर राजेश्वर शर्मा  
नाम राजेश्वर शर्मा  
पद अहालक ओड-3  
विभाग श्री. सु. तथा लोचन शाहवादी  
स.स. कोषाल

